न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 03 / 2008

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
तलका पुत्र प्रभु के का0मु0		उका पुत्र प्रभु के का0मु0
1 बाबु पुत्र तलका		1 प्रेमा पुत्र उका
2 अकु बेवा तलका		2 रणछोडा पुत्र उका
3 जेऊ पुत्री तलका पत्नी छगना जाति मेघवंशी निवासी धनपुर		3 लखमा पुत्र उका जातिगण मेघवंशी निवासीगण पूरण तहसील भीनमाल
4 श्रीमति गवरी पुत्री तलका पत्नी बगदा जाति मेघवंशी निवासी केर तहसील रानीवाड़ा		4 काली पुत्री उका पत्नी पुनमा जाति मेघवंशी निवासी धूलिया तहसील रानीवाड़ा
		5 सणगी पुत्री उका पत्नी प्रभा के का0मु
		5.1 रंगु पत्री प्रभा पत्नी मना जाति मेघवंशी निवासी कागमाला तहसील रानीवाड़ा
		5.2 जेठा पुत्र प्रभा जाति मेघवंशी निवासी मेडा तहसील रानीवाडा
		5.3 दौला पुत्र प्रभा जाति मेघवंशी निवासी मेडा तहसील रानीवाडा
		6 दला पुत्र रता पौत्र उका के का0मु0
		6.1 हंजा बेवा दला
		6.2 बनकी पुत्री दला
		6.3 बीका पुत्र दला
		6.4 आशा पुत्री दला
		6.5 सुन्दर पुत्री दला रेस्पोडेन्ट संख्या 6.2 से 6.5 नाबालिग जरिए कुदरती वलीया माता हंजा
		7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीनमाल जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री त्रिलोक चन्द मेहता, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री परमानन्द शर्मा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

–: निर्णय :–

दिनांक : 8.6.18

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2002 उका बनाम तलका वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.03.2008 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

'विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट तलका एवं रेस्पोडेन्ट उका भाई थे तथा छगना पुत्र भगा उनका भतीजा था। जैर अपील आराजी में अपीलाण्ट तलका एवं रेस्पोडेन्ट उका का 2/3 हिस्सा तथा छगना का 1/3 हिस्सा था। उका के पास दूसरी भूमि उपलब्ध होने के कारण उका ने छगना के हिस्से में से अपना नाम भू प्रबन्ध के दौरान हटवा लिया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में यह आधार अंकित किया कि अपीलाण्ट द्वारा सेटलमेन्ट अधिकारीयों से सांठ गांठकर विभाजन बता कर राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज करवा लिया, जबकि इन कथनों के समर्थन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत ही नहीं किया। जैर अपील वादस्थ भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा तथा मृतक छगनीया अपने जीवनकाल में अपीलाण्ट के साथ ही निवास करता था एवं उसकी भूमि पर काश्त करता था। जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त थे। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा रेस्पोडेन्ट की स्वीकृति से मिसल संख्या 852/89 निर्णय दिनांक 29.04.89 के जरिये छगना की भूमि अपीलाण्ट तलका के नाम दर्ज की। इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट/वादी को जो तनकीयात साबित की जानी थी, उन तनकीयात को साबित करने हेतु वादी/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिया तथा तनकी संख्या 1 को बिना किसी साक्ष्य के वादी/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में विनिश्चित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा भू–प्रबन्ध का रेकर्ड प्रस्तुत ही नहीं किया तथा अपीलाण्ट द्वारा उक्त रेकर्ड की प्रति प्राप्त करने का प्रयास किया, तो सम्बन्धित कार्यालय में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होना बताया गया। अपने कथनों को साक्ष्य से साबित करने का भार वादी/रेस्पोडेन्ट पर डाला गया था, जिसे रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी भी रूप में साबित नहीं किया। रेस्पोडेन्ट केरी फौत होने के बावजूद उसके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिए बिना ही मृतक के विरूद्ध डिक्री पारित की है, जो आरम्भ से ही शून्य है। इसके अतिरिक्त छगना की भूमि पर किसका कब्जा काश्त है, यह जांच किए बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात रेस्पोडेन्ट के पक्ष में विनिश्चित की, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तनकीयात का विनिश्चय किया है, जो किसी भी दृष्टिकोण से विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया है, उसमें अंकित तथ्यों को मौखिक साक्ष्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अपीलाण्ट का कथन है कि उन्होने पूरी भूमि की बिगोडी अदा की है, यह तथ्य मनगढन्त है। यदि अपीलाण्ट पूरी भूमि का लगान अदा करते, तो वह 11.19 रूपये होता, जबकि अपीलाण्ट द्वारा 5रूपये 10 पैसे लगान अदा किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जैर अपील वादस्थ भूमि के 1/2 हिस्से पर अपीलाण्ट एवं शेष 1/2 हिस्से पर रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त थे। छगना लाऔलाद फौत हुआ है, इस कारण उसके 1/2 हिस्से की भूमि के रेस्पोडेन्ट अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट द्वारा तनकी संख्या 1 को साबित करने हेतु पर्याप्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निष्कर्ष अंकित करते हुए तनकीयात विनिश्चित की है। जहां तक भू–प्रबन्ध में खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रश्न है, तो यह सेटलमेन्ट अधिकारीयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। इसके बावजूद उन्होने छगना के हक हिस्से की भूमि अपीलाण्ट के हक में दायर की है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में कायम की गई तनकीयात का पृथक पृथक विनिश्चय अंकित करते हुए जैर अपील वादस्थ भूमि में अपीलाण्ट का 1/2 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट का 1/2 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया तथा विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम पूरण तहसील भीनमाल के साबिक खसरा नम्बर 513 रकबा 29 बीघा 17 बिस्वा की भूमि में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट का 2/3 हिस्सा तथा शेष 1/3 हिस्सा छगनिया पुत्र भगा के नाम दर्ज था। खसरा नम्बर 513 के हाल खसरा नम्बर 457 रकबा 4.54 हैक्टेयर तथा 458 रकबा 0.18 हैक्टेयर कुल खसरा 2 जिसका कुल रकबा 4.72 हैक्टेयर कायम हुए। रेस्पोडेन्ट का कथन यह रहा कि उक्त भूमि के अतिरिक्त वादी एवं प्रतिवादीगण के अन्य कोई भूमि नहीं थी, जबकि अपीलाण्ट ने इन कथनों के विरोध में यह अंकित किया कि उक्त भूमि के अलावा खसरा नम्बर 351, 643, 644, 645 व 350 की भूमि सह खातेदारी की थी, जो वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वयं के नाम दर्ज करवा ली तथा खसरा नम्बर 475 की भूमि अपने पुत्र के नाम दर्ज करवा ली। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नमबर 457 व 458 में अपना 1/2 हिस्सा घोषित कराने का अनुतोष चाहा, वहीं अपीलाण्ट द्वारा जरिये प्रतिवादी के खसरा नम्बर 351, 643, 644, 645, 350 कुल रकबा 2.11 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 475 रकबा 2.43 हैक्टेयर में स्वयं का 1/2 हिस्सा घोषित कराने का अनुतोष चाहा। प्रकरण में प्रस्तुत जमाबन्दी वर्ष 1989 से 2009 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 457,

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-बालोतरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

458 की भूमि अपीलाण्ट के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर के पूर्व खसरा नम्बर 513 थे, जिसमें अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट के साथ छगनीया वल्द भगा का नाम भी दर्ज है। प्रकरण में प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर जो तनकीयात कायम की गई, उनमें तनकी संख्या 1 इस प्रकार थी – आया वादीगण सरहद मौजा पूरण में स्थित नवीन सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 457 रकबा 4.54 हैक्टेयर और खसरा नम्बर 458 रकबा 0.18 हैक्टेयर जुमले रकबा 4.72 हैक्टेयर भूमि में 1/2 हिस्सा वादीगण का तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण की खातेदारी का घोषित कराने के अधिकारी है ? जिम्मे वादीगण। उक्त तनकी को साबित्त करने का भार वादीगण पर ड़ाला गया था। उक्त तनकी में अप्रत्यक्ष रूप से कानूनी बिन्दु निहित था कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तथाकथित रूप से छगनीया के हिस्से की भूमि को अपीलाण्ट के हिस्से में दर्ज किया गया है, वह किस हद तक उचित था ? इस सम्बन्ध में विभिन्न न्यायिक सिद्धान्तों में यह प्रतिपादित किया गया है कि भू–प्रबन्ध अधिकारियों को बिना किसी आदेश के रेकर्ड की प्रविष्ठि में रद्दोबदल करने का अधिकारी नहीं है। हस्तगत प्रकरण में उभयपक्ष इस तथ्य को साबित करने में पूर्णतः असफल रहे है कि छगनीया के हिस्से की भूमि किस आदेश के जरिये अपीलाण्ट के पक्ष में दर्ज की गई। चूंकि प्रकरण में उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर डाला गया था, जिसे सिद्ध करने हेतु वादीगण द्वारा इस तथ्य के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। कानूनन जिस बिन्दु को जिस पक्ष द्वारा उठाया जाता है, उसे साबित करने का भार भी उसी पक्ष का होता है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में वादीगण द्वारा उक्त तथ्य अपने पक्ष में सिद्ध करने हेतु न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया तथा न ही कोई इस बिन्दु पर कोई प्रबल मौखिक साक्ष्य परीक्षित हुआ। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी को वादीगण के पक्ष में सिद्ध किया है, जबकि रेकर्ड में उक्त भूमि अपीलाण्ट के नाम जिस प्रकार दर्ज हुई, वो कार्यवाही विधि विरूद्ध थी अथवा नही ? इसे वादीगण द्वारा किसी भी रूप में साबित नहीं किया गया है, जिसके अभाव में जैर अपील वादस्थ भूमि में वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स का 1/2 हिस्सा किस आधार पर साबित होता है, यह स्पष्ट नहीं है। चूंकि तनकी संख्या 1 का विनिश्चय विधि विरूद्ध पाया जाता है, तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्मित तनकी संख्या 2 व 3, तनकी संख्या 1 के विनिश्चय पर आधारित होने के कारण तनकी संख्या 2 व 3 भी वादी/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में विनिश्चिय हुई, जो इस क्रम में विधि सम्मत नहीं है। तनकी संख्या 4 का उद्धरण इस प्रकार है – आया प्रतिवादीगण सरहद मौजा पूरण में स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 351, 643, 644, 645, 350 जुमले रकबा 2.11 हैक्टेयर व हाल खसरा नम्बर 475 रकबा 2.43 हैक्टेयर का 1/2 हिस्सा अपनी खातेदारी का घोषित कराने तथा उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराने के अधिकारी है ? जिम्मे प्रतिवादीगण। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी/अपीलाण्ट पर था। अपीलाण्ट ने उक्त तनकी को अपने पक्ष में साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हो सके की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उक्त भूमि पुश्तैनी/सह खातेदारी की होकर उसमें अपीलाण्ट का हक हिस्सा निहित हो। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तनकी अपीलाण्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध विनिश्चित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्मित तनकी संख्या 5 मात्र आवश्यक पक्षकारान् के असंयोजन के कारण प्रतिवादी के विरूद्ध विनिश्चित की गई, जबकि उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर डाला गया था, जिसमें पक्षकार संयोजन की जिम्मेदारी वादी की थी। वादीगण की गलती का खामियाजा प्रतिवादी को नहीं भुगताया जा सकता है। तनकी संख्या 6 को साबित करने का भार वादीगण पर डाला गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में उक्त तनकी को अप्रत्यक्ष रूप से वादीगण के पक्ष में साबित माना है, जिसका कोई आधार ही नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट का यह कथन कि जैर अपील निर्णय पारित होने से पूर्व ही प्रतिवादी केरी फौत हो चुकी थी, जिसके का0मु0 को रेकर्ड पर नहीं लिया गया, इसलिए जैर अपील निर्णय मृतक के विरूद्ध पारित होने से शून्य प्रभावी है। इस तथ्य को रेस्पोडेन्ट्स द्वारा नकारा नहीं गया है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस सम्बन्ध में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मृतक के विरूद्ध पारित निर्णय शून्य प्रभावी एवं विधि विरूद्ध है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित करने से पूर्व मृतक केरी के वारिशान को न तो रेकर्ड पर लिया गया तथा न ही उन्हे पक्षकार संयोजित करने अथवा नहीं करने बाबत कोई निष्कर्ष अंकित किया गया, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकीयात को जिस रूप में निर्णित किया है, वे पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव एवं आधारविहीन निष्कर्ष के कारण स्वीकार एवं समर्थन योग्य नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2002 उका बनाम तलका वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.03.2008 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के सम्बन्ध में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों की रोशनी में प्रकरण का परीक्षण कर पक्षकारान् को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए, मृतक पक्षकार के विधिक वारिशान को भी सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 8-6-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर